न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धाराः– 251 (ए) आरटीए
प्रकरण संख्याः–40/2018

1. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी ।

–प्रार्थी

बनाम

1. शीलादेवी पत्नी रामसिंह
2. दुलीचन्द पुत्र केशूराम
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः–श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 8.10.2018

प्रार्थी बनवारीलाल ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि मुझ प्रार्थी के नाम से वाके चक नं0 22 एनजीसी के खाता सं0 40/34 के प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 14/1/.126 कुल .126 है0 नहरी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी चक के प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 16 में .013 है0 नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से इसी चक के प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 14/2/.127, 17 कुल .380 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

मुझ प्रार्थी के नाम चक 22 एनजीसी के प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 14/1/.126, है0 नहरी भूमि व अप्रार्थी सं0 2 की कृषि भूमि प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 14/2/.127, 17 में आवागमन करने के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 2 अपने खेत में प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 16 में मन्जूर शुदा रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में इसी किला नं0 16 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम में से होकर आते जाते है तथा मौके पर रास्ता चालू है। प0न0 188/263 मु0 19 किलानं0 16 अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि थी तब मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य इसी रास्ता को लेकर समझौता हुआ था तथा समझौता के रोज उक्त रास्ता के बदले अप्रार्थीया ने राशि प्राप्त कर ली थी व अब अप्रार्थीया सं0 1 ने किला नं0 16 में से .240 है0 कृषि भूमि बेचान कर दी है तथा आज मौके किला नं0 16 मे .013 है0 कृषि भूमि अप्रार्थीया सं0 1 के नाम दर्ज है जिस पर आज मौके पर रास्ता चालू है। मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 .013 है0 व किला नं0 17 में .002 है0 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम गै0मु0 रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है। अप्रार्थीया को रास्ता की भूमि के बदले में पूर्व में राशि दी हुई है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वह प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाकर गैर0मु0 रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पेर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली पीरकामड़िया कैम्प में रखी गई। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चूकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाकर चक नं. 22 एनजीसी के खाता हाजा में से अप्रार्थीया सं0 1 शीला देवी का नाम कलमजन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा शामिल मिसल किया

Scanned by CamScanner

गया शामिल मिसल किया गया। राजीनामा के साथ समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्व हस्ताक्षरित पेश की गई जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय स्तर पर तहसीलदार टिब्बी से पत्रांक स्पेशल–1 दिनांक 20.7.2018 से पत्र जारी कर रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। वांछित रिपोर्ट पत्रांक 870 दिनांक 9.8.2018 से भिजवाई गई जिसके अनुसार स्वीकृत शुदा कटानी रास्ता से लगता चक नं. 22 एनजीसी के प.नं.188/263 मु.नं. 19 कि.नं. 16/0.013 है. उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा प.नं.188/263 मु. नं. 19 के कि.नं.17/.002 है. उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम स्वीकृत करवाना चाहते है,राशि का आदान प्रदान पूर्व में कर लिया है। कटानी रास्ता से रास्ता स्वीकृत करवाने पर सुविधा होगी। पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पक्षकारों को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है,सुविधा के लिये रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया जा रहा है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। उक्त पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया,मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की आवश्यकता है। रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अप्रार्थीगण के राजीनामा की सहमति से स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीया सं0 1 की भूमि चक नं0 22 एनजीसी के प0न0 188/263 मु0 19 किला नं0 16 में .013 है0 व अप्रार्थी के नाम की इसी चक के प0न0 188/263 मु0 19 के किला नं0 17 में .002 है0 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाकर चक नं0 22 एनजीसी के खाता हाजा में से अप्रार्थीया सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में कोई प्रभाव नही पड़ेगा। तहसीलदार के नाम से अलग से तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह सतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner